



110

न्यायालय—श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल भोपाल

पिपरिया—4385/2018/होशंगाबाद/प्र.प्र.—

ओमकारसिंह आ० छोटेलाल जाति किरार  
निवासी ग्राम पुनौर, तहसील पिपरिया,  
जिला होशंगाबाद (म.प्र.)

.....पुनरीक्षणकर्ता

**विरुद्ध**

श्रीसंजय दुवे अमिताभ मदनलाल आ० रामकिशन रघुवंशी

निवासी ग्राम हथवांस, तहसील पिपरिया,  
जिला होशंगाबाद (म.प्र.)

.....उत्तरवादी

आवेदन ओमकारसिंह  
कसाब उपस्थित  
दुवे अमिताभ

प्रस्तुत दिनांक— 10/06/2018

26/6/18 पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू-राजस्व संहिता



अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी पिपरिया के रा.प्र.क्र.  
78/अपील/2017-18 ग्राम पुनौर, तहसील पिपरिया में पारित अंतरिम आलोच्य आदेश  
21.06.2018 पक्षकार—ओमकारसिंह बनाम मदनलाल रघुवंशी के विरुद्ध

*(Handwritten signature)*

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/होशंगाबाद/भू.रा./2018/4385 जिला होशंगाबाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-10-2018	<p>आवेदक अधिवक्ता श्री संजय दुबे तथा अनावेदक की ओर से श्री नीरज श्रीवास्तव, अधिवक्ता उपस्थित। आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण की सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है।</p> <p> 31/31</p> <p> (मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>	